**संख्या-29/2015/994/सैंतीस-2-2015-1(45)/12टीसी**

प्रेषक,

**रणविजय सिंह,**
**उप सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**निदेशक,**
**पशुपालन विभाग,**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-08 मई, 2015

विषयः-**"उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति, 2013" के अन्तर्गत प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2280/सैंतीस-2-2013-1(45)/12, दिनांक-17.06.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- कुक्कुट उद्यमियों की मांग के दृष्टिगत शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर-6 के उप प्रस्तर-6.7 को संशोधित किया गया है, अतः शासनादेश संख्या-2280/सैंतीस-2-2013-1(45)/12, दिनांक-17.06.2013 के प्रस्तर-6 के उप प्रस्तर-6.7 को निम्नवत पढा जायः-

"निदेशालय द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट के आधार पर कामर्शियल लेयर/ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की जितनी इकाईयां स्थापित होती हैं, उसी आधार पर जनपदवार बजट का आवंटन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को किया जायेगा।

ब्याज प्रतिपूर्ति (अनुमन्य 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के अनुसार) प्राप्त करने हेतु लाभार्थी/उद्यमी द्वारा प्रत्येक त्रैमास प्रारूप-'सी' (क्लेम फार्म) के साथ कैश क्रेडिट स्टेटमेन्ट/टर्म लोन स्टेटमेन्ट तथा बैंक इन्टरेस्ट सर्टिफिकेट अपने जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके परीक्षणोपरान्त 15 दिनों में उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2013 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य ब्याज प्रतिपूर्ति का भुगतान लाभार्थी के एकाउण्ट में सुनिश्चित किया जायेगा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी प्रति माह निदेशालय, पशुपालन विभाग, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ब्याज प्रतिपूर्ति की सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

उद्यमी यदि बैंक को ऋण का समय से भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी दशा में बैंक को अतिरिक्त ब्याज देने की जिम्मेदारी भी लाभार्थी की होगी। साथ ही यदि लाभार्थी बैंक का कर्ज लौटाने में डिफाल्टर होता है तो ऐसी दशा में उद्यमी को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा तथा डिफाल्टर होने के पश्चात बैंक को ब्याज की भरपाई करने का दायित्व शासन का नहीं होगा तथा उस समय तक दी गई ब्याज प्रतिपूर्ति की धनराशि उद्यमी को वापस करनी होगी।"

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त शासनादेश दिनांक 17 जून, 2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

**(रणविजय सिंह)**
उप सचिव।

**पृ0सं0-29/2015/994(1)/सैंतीस-2-2015- तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
13. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
16. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. पशुधन अनुभाग-1
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(रणविजय सिंह)**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in